न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 65/2018 जिला दौसा ।

1. चन्दा लाल
2. लल्लू प्रसाद
3. दुर्गा लाल
   पि. स्व. नारायण, जाति कोली, निवासी ग्रम निजामपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

वनाम

1. पिंकी पत्नी स्व. बाबू लाल पत्नी ताराचन्द कोली, जाति कोली, निवासी ग्रम पिपलदा, तहसील बौली, जिला सवाईमाधोपुर ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 24.8.2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 82

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री कृष्ण मुरारी शर्मा
2. वकील रेस्पांडेन्ट श्री अरविन्द पारिक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 15.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.8.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम डाबर खुर्द स्थित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार नारायण पुत्र रेखा था । नारायण के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण सख्या 82 ग्रम पंचायत द्वारा चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गालाल पि. नारायण के नाम दिनांक 19.12.2007 को स्वीकार किया गया । जमाबन्दी संवत 2070–2073 के अनुसार ग्रम डाबर खुर्द, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 37/9 रकबा 20 बीघा के खातेदार बाबू लाल, रामस्वरूप पि. नोन्दा हिस्सा 1/2 राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना मूर्तहीन चन्दा लाल , लल्लू प्रसाद, दुर्गालाल पि. नारायण हिस्सा 1/2 है । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट पिंकी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को प्रस्तुत की , जो उनके निर्णय दिनांक 27.6.2017 द्वारा नामांतरकरण संख्या 82

Scanned by CamScanner

दिनांक 19.12.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार रामगढ पचवारा , जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया मृतक नारायण व बाबू लाल के वारिसान की विधिवत जॉच कर नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करें ।

उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.6.2017 की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा , जिला दौसा ने अपीलधीन निर्णय दिनांक 24.8.2018 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मूल निवास व गवाहान के बयानों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि मृतक नारायण पुत्र रेखा कोली निजामपुरा के कमशः चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, बाबू लाल, दुर्गालाल पुत्र है, जिनमें बाबू लाल की मृत्यु हो चुकी है और बाबू लाल के एक पुत्री पिंकी है । अतः मृतक नारायण पुत्र रेखा की विरासत चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गा लाल व पिंकी पुत्री बाबू लाल जाति महावर निवासी निजामपुरा के नाम निर्णित की जाकर पटवारी हल्का को मुताबिक निर्णय नामांतरकरण खोल कर तस्दीक करने के आदेश पारित किये हैं ।

तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.8.2018 से व्यक्ति होकर मृतक खातेदार नारायण के पुत्रान अपीलान्ट्स चन्दा लाल वगैहरा द्वारा यह अपील प्ररतुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ पुनः रिमाण्ड किया जावे कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल करवाई जाकर सम्यक रूप से सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाकर नामांतरकरण संख्या 82 के संबंध में पुनः निर्णय पारित करे ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार नारायण की विरासत तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा हितबद्ध गवाहों के बयान लेकर पारित कर दिया जबकि ग्रम निजामपुरा का एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं लिया , जो यह साबित कर सके कि रेस्पोंडेन्ट मृतक बाबू लाल की पुत्री है । रेस्पोंडेन्ट पिंकी अपनी माता आशा देवी के साथ दूसरी जगह टोडा भीम चली गई थी ओर करीब 8–10 साल तक रही थी । रेस्पोंडेन्ट पिंकी कभी भी ग्रम निजामपुरा में नहीं रही और विवादित भूमि खसरा नम्बर 37/9 रकबा 20 बीघा में हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4 पर ग्रम डाबर खुर्द पर कभी उसका कब्जा नहीं रहा । अपीलाधीन निर्णय की आड मे रेस्पोंडेन्ट पिंकी विवादित आराजी को रहन बय मुन्तकिल करने पर आमादा हो रही है । तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने मृतक नारायण के वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की ओर न ही

Scanned by CamScanner

ग्रम निजामपुरा के सरपंच से प्रमाणित सजरा प्राप्त किया , न ही ग्रम निजामपुरा के स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये तथा न ही विधिवत रूप से कब्जे की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल करवाई जाकर सम्यक रूप से सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाकर नामांतरकरण संख्या 82 के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतुः रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 82 ग्रम पंचायत ने मृतक के चार पुत्रों में तीन पुत्रों के नाम तस्दीक किया है एवं मृतक पुत्र बाबू लाल के वारिसान को छोड दिया गया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिंकी बाबू लाल की जायन्दा पुत्री है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिंकी एक वर्ष की थी तभी उसके पिता बाबू लाल पुत्र नारायण की मृत्यु हो गई थी और बाबू लाल की मृत्यु के बाद बाबू लाल की पत्नि एवं पिंकी की मॉ आशा देवी द्वारा सुमेर सिंह के साथ पुर्नविवाह कर लिया था । तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र कमांकः 2635 दिनांक 3.5.2011 में तथा आधार कार्ड संख्या 687271374672 में रेस्पोंडेन्ट पिंकी के पिता का नाम बाबू लाल महावर अंकित है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिकी , बाबू लाल पुत्र नारायण की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 82 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट पिंकी की अपील उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान ने निर्णय दिनांक 27.6.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार रामगढ पचवारा , जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया कि मृतक नारायण व बाबू लाल के वारिसान की विधिवत जॉच कर नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करें । इस पर तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कंर साक्ष्य सबूत लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2018 द्वारा मृतक खातेदार नारायण की विरासत चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गालाल व पिंकी पुत्री बाबू लाल के नाम निर्णित की गई है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 24.8.2018 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरा के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि क मृतक खातेदार नारायण की विरासत के नामांतरकरण का विवाद है । ग्रम पंचायत ने मृतक नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 82 चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गालाल पि. नारायण के नाम दिनांक 19.12.2007 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ पिंकी की अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा निर्णय दिनांक 27.6.2017 से नामांतरकरण संख्या 82 दिनांक 19.12.2007 निरस्त करते हुये प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार रामगढ पचवारा , जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया मृतक नारायण व बाबू लाल के वारिसान की विधिवत जॉच कर नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करें । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य सबूत लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2018 द्वारा मृतक खातेदार नारायण की विरासत चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गालाल व पिंकी पुत्री बाबू लाल के नाम निर्णित की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि का खातेदार नारायण था जिसके चार पुत्र चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, बाबू लांल व दुर्गा लाल में से एक पुत्र बाबू लाल भी फौत हो चुका था इसलिये ग्रम पंचायत ने नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण बाबू लाल की वारिस रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिंकी को छोडते हुये केवल तीन पुत्रों के नाम तस्दीक किया और इसकी अपील में प्रकरण उप खण्ड अधिकारी से तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य सबूत लेकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिंकी को मृतक बाबू लाल पुत्र नारायण की पुत्री मानते हुये मृतक खातेदार नारायण की विरासत चन्दा लाल, लल्लू प्रसाद, दुर्गा लाल व पिंकी पुत्री बाबू लाल के नाम निर्णित की गई है । हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पिंकी , बाबू लाल पुत्र नारायण की पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में बाबू लाल की विधिक वारिस है जिसके नाम भी नारायणं की विरासत का नामांतरकरण खोलने के पारित अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 24.8.2018 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner